

5/13
13

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से
पत्रावली वास्तं... 27.9.19.....
दिनांक 31/2/19 को पेश हो।

31/2/19

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से
पत्रावली वास्तं... 27.9.19.....
दिनांक 14/1/20 को पेश हो।

14/1/20

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित
है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में
होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त
होने/बार एसोसिएशन की प्रार्थन से
पत्रावली वास्तं... 27.9.19.....
दिनांक 4/2/20 को पेश हो।

4.2.2020

प्र० सं०
2018/00096

पत्रावली पेश हुई आयोग का अधिवक्ता उपस्थित,
विपक्षीय का कज्रद गामील के कोई जवाब पेश
नहीं किया न उम्मीद और से कोई उपस्थित
इस प्रकार से दिनांक 6.8.18 को कठोरिम
अस्थायी विधेधारा जारी की जा चुकी है जिसका
कार्य समय होने पर भी कोई जवाब पेश
नहीं करता यह सिद्ध करता है कि विपक्षीय का
कोई आपत्ती नहीं है तथा इस मामले में विपक्षीय का

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र० सं० 2018/00096
52/2018

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

को प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से कोर्ट आपत्ती
नहीं है, उपरोक्त विवरण के साथ प्रार्थीगण
आपत्तियों द्वारा प्रकरण में स्वगत कोर्ट दिनांक
6.6.2018 को अन्तर्गत करने का निवेदन किया।

में प्रकरण पर गठित रिजिस्टर तथा पञ्जावली
अपतण्ड रेफार्ड का अन्वेषण किया तो पाया कि
प्रार्थीगण स्वातंत्र्य है तथा विपक्षी अन्वेषण है
जिनको कोई अधिकार नहीं प्रार्थीगण के कब्जे में
से अन्वेषण करने का व किसी तरह का अन्वेषण
पहुँचाने का, एसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर
दिनांक 6.6.18 को जारी स्वगत कोर्ट अन्तर्गत किया
जाता उचित है।

अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
द्वारा 212 R.T.A. स्वीकार विरुद्ध विपक्षीगण के इस
कारण कि अस्वास्थ्य निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि
मूल वाद के निर्वाह तक प्रार्थीगण के स्वातंत्र्य अधिकार
व कब्जे में आदेश की आराजीयता से 1558 व 1560 किता 2
सम्बन्ध 0.15 है प्रार्थी के उपयोग. उपरोक्त में गजायत
अन्वेषण नहीं करे शाही प्रवक्त आदेश करने के तथा
प्रार्थीगण के दिवार का किसी तरह का अन्वेषण
नहीं पहुँचाने तथा प्रार्थीगण को अन्वेषण नहीं करे।
पञ्जावली फेसल 25 साल होकर नष्ट से बच हो।

(सुन्दरलाल कश्यप)
सहायक-कलक्टर, सखण्ड अधिकारी,
रावपुर (मीलवाड़ा)

